ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में ₹ 750.20 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित **'घोषणा फार्मों के विरूद्ध छूट एवं रियायतें'** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा करों, ब्याज, पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/ कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क, स्टॉम्प शुल्क, यात्री एवं माल कर, रायल्टी इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित 25 उदाहरणदर्शक अनुच्छेद शामिल हैं।

1. अध्याय-1

सामान्य

वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 47,556.55 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 52,496.82 करोड़ थी। इसमें से, 77 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 34,025.69 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 6,196.09 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 23 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 6,597.47 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 5,677.57 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,940.27 करोड़ की वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की 318 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2016-17 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 37,331 मामलों में कुल ₹ 1,701.08 करोड़ के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष 2016-17 के दौरान, विभाग ने 2,721 मामलों में ₹ 666.76 करोड़ के अवनिर्धारण स्वीकार किए। इनमें से, विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों के 185 मामलों में ₹ 1.49 करोड़ वसूल कर लिए थे।

(अनुच्छेद 1.11)

2. अध्याय-2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

'घोषणा फार्मों के विरूद्ध छूट एवं रियायतें' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा से घोषणा फार्मों के दुरूपयोग के लिए अतिरिक्त कर का अनुद्ग्रहण तथा पेनल्टी, बिक्री का गलत श्रेणीकरण, अवैध दस्तावेजों के विरूद्ध अनुमत कटौतियां और घोषणा फार्मों के बिना बिक्री पर कर का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण के मामले सामने आए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 518.66 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

- कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने अवैध सी, ई-I, एफ. और एच. घोषणा फार्मों के विरूद्ध बिक्री पर शून्य/रियायती दर पर कर तथा गलत छूट की अनुमति दी और अविद्यमान डीलरों को रियायती बिक्री की अनुमति दी परिणामत: ₹ 17.37 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 103.27 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रहणीय थी।

(अनुच्छेद 2.3.7)

- कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वैट डी-I और डी-2 फार्मों के दुरूपयोग के लिए ₹ 262.24 करोड़ के अतिरिक्त कर और पेनल्टी उद्ग्रहण नहीं की।

(अनुच्छेद 2.3.8.1 और 2.3.8.3)

- कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 'सी' फार्मों के दुरूपयोग के लिए ₹ 79.35 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहण नहीं की।

(अनुच्छेद 2.3.8.4)

- कर-निर्धारण प्राधिकारी 'सी' फार्मों के बिना अंतर्राज्यीय बिक्री पर ₹ 25.77 करोड़ के कर का निर्धारण करने एवं उद्ग्रहण करने में विफल रहे।

(अनुच्छेद 2.3.8.5)

- कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 'सी' फार्मों के बिना अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 8.07 करोड़ के सी.एस.टी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.3.8.6)

- मई 2013 के विभागीय अनुदेशों के बाद भी विभाग द्वारा घोषणा फार्म लोगो और जलचिह्न जैसे सुरक्षा विशेषता के बिना मुद्रित किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.3.15.1)

- कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अवैध वैट सी-4 फार्म के विरूद्ध गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमत किया, परिणामत: ₹ 2.13 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ तथा ₹ 6.38 करोड़ की पेनल्टी भी उदग्राहय थी।

{अनुच्छेद 2.3.16 (बी) (i)}

108 अपंजीकृत निर्माण-कार्य ठेकेदारों तथा 28 डीलरों ने ₹ 247.25 करोड़ के विक्रय छिपाए, परिणामस्वरूप ₹ 49.78 करोड़ के कर एवं पेनल्टी का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.2, 2.4.3.1 तथा 2.4.3.2)

विभाग द्वारा पांच मामलों में 14 से 19 माह की समाप्ति के बाद भी ₹ 11.43 करोड़ की पेनल्टी के उद्ग्रहण के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.4.4)

19 मामलों में ₹ 83.72 करोड़ का स्टॉक छिपाया गया था परिणामस्वरूप ₹ 24.28 करोड़ के कर एवं पेनल्टी का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.5)

तीन डीलरों ने ₹ 5.08 करोड़ का क्रय छिपाया था परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ के कर एवं पेनल्टी का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.6)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा एम्ब्रोडयरड फैब्रिक्स को फैब्रिक्स की बिकी मानते हुए छूट अनुमत की गई परिणामत: ₹ 5.82 करोड़ के वैट का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके साथ ₹ 2.79 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

(अनुच्छेद 2.5.1)

ड्यूटी एवं एनटाइटलमेंट पासबुक हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ढंग से अनुमत किया गया था क्योंकि वह पुन: बिक्री हेतु उपयोग नहीं किया गया था तथा देय सीमा शुल्क के विरूद्ध समायोजित किया गया था परिणामस्वरूप एक डीलर को ₹ 2.68 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति हुई। आगे, ₹ 1.28 करोड़ की आई.टी.सी. गलत ढंग से अनुमत की गई थी क्योंकि विक्रेता डीलर ने वर्ष के दौरान कोई बिक्री नहीं दर्शाई थी।

(अनुच्छेद 2.6)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 30 करोड़ की अंतर्राज्य बिक्रियों पर केन्द्रीय बिक्री कर का उद्ग्रहण छोड़ दिया परिणामस्वरूप ₹ 3.77 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.7)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने पांच मामलों में ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया तथा दो मामलों में ब्याज, कर के विलंबित भुगतान पर कम उद्गृहीत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.51 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.8)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने गलत ढंग से कर योग्य टर्नओवर की उच्चतर कटौती अनुमत की परिणामस्वरूप, ₹ 0.76 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 61.96 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

(अनुच्छेद 2.9)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारण अंतिम करते समय परिगणना त्रुटि के कारण ₹ 1.17 करोड़ के कर का अवनिर्धारण किया।

(अनुच्छेद 2.10)

3. अध्याय-3

राज्य उत्पाद शुल्क

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यतः विभिन्न बिक्रियों के लाईसैंस की प्रदानगी हेतु लाईसैंस फीस, डिस्टलरियों/ब्रेवरिज में उत्पादित और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट/बीयर पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

90 ठेके वर्ष 2015-16 के लिए देय लाईसेंस फीस की मासिक किस्तों का निर्धारित तिथियों तक भुगतान करने में विफल रहे तथा डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने ठेकों को बंद करने के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.43 करोड़ की लाईसेंस फीस की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.57 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

(अनुच्छेद 3.3)

विभाग मूल आबंटियों से लाईसेंस फीस की अंतरीय राशि वसूल करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.4)

4. अध्याय-4

स्टाम्प शुल्क

आवासीय/वाणिज्यिक अचल संपत्ति तथा बिक्री/विनिमय/उपहार विलेखों और प्राप्त किए गए मुआवजे की राशि से खरीदी गई भूमि, नगरपालिका सीमाओं के भीतर/बाहर 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाली अथवा उस मामले में जहां क्रेता एक से अधिक हैं तथा प्रत्येक क्रेता का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम है, बेची गई कृषीय भूमि के मूल्यांकन के संबंध में भारतीय स्टॉम्प अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के गैर-अनुपालन के मामले जांच में आए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45.44 करोड़ (एस.डी. ₹ 44.67 करोड़ तथा आर.एफ. ₹ 0.77 करोड़) के स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने छः करारों में बिक्री के करार की बजाए संयुक्त करार के रूप में बिक्री विलेखों का गलत वर्गीकरण किया परिणामस्वरूप ₹ 7.35 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने ₹ 229.52 करोड़ के वार्षिक औसत किराए के संबंध में ₹ 6.96 करोड़ की बजाय ₹ 3.52 लाख के स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण किया परिणामतः ₹ 6.92 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.5)

उन खसरा दरों, जिन पर आवासीय कालोनियों को विकसित करने के लिए ₹ 62.04 करोड़, जिस पर ₹ 3.82 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उदग्राहय था, के भूमि प्रयोग परिवर्तन लाइसेंस जारी किए गए थे, की बजाय कृषीय भूमि के लिए सामान्य खसरा दरों पर बिक्री के लिए ₹ 18.76 करोड़ जिस पर ₹ 1.05 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहण किया गया, छः विलेख पंजीकरण किए गए फलस्वरूप ₹ 2.77 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। आगे, 47 बिक्री विलेख पार्टियों के मध्य अनुबंध से कम प्रतिफल पर निष्पादित एवं पंजीकृत किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 42.07 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.6)

38 मामलों में किसानों, जिन्होंने आवासीय/वाणिज्यिक भूमि खरीदी, मुआवजे से अधिक राशि की कृषीय भूमि खरीदी तथा दो वर्षों की अनुमत्य अवधि के बाद कृषीय भूमि खरीदी, को स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 1.85 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.7)

5. अध्याय-5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

परिवहन विभाग

माल ढोने के लिए प्रयुक्त 619 सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान माल कर जमा नहीं करवाया/कम जमा करवाया, परिणामस्वरूप ₹ 47.25 लाख के माल कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 27.88 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 5.3)

742 माल ढोने वाले वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2015-16 के दौरान टोकन टैक्स या तो जमा नहीं करवाया या कम जमा करवाया, परिणामस्वरूप ₹ 17.16 लाख के टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 34.32 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

(अनुच्छेद 5.4)

6. अध्याय-6

अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

समय पर कार्रवाई करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.37 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 35.90 करोड़ के संविदा धन की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 6.3)

चार जिलों के संबंध में 67 ईंट भट्ठा मालिकों से ₹ 37.22 लाख की रायल्टी तथा ब्याज की राशि की वसूली नहीं की गई थी जिन्हें अप्रैल 2014 तथा मार्च 2017 के मध्य परमिट जारी किए गए थे।

(अनुच्छेद 6.4)